न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राजस्थान)

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः— **22/2019** अपील (भू राजस्व)

श्री हीरालाल पुत्र स्व. श्री नंगा जी मेघवाल निवासी खरसाण, तहसील वल्लभनगर उदयपुर (राज0)

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती गणेशी पत्नी श्री स्व. छगनलाल जी, निवासी गवारडी तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद
2. श्री दीपक पुत्र श्री लक्ष्मीलाल जी निवासी खरसाण, तहसील वल्लभनगर उदयपुर (राज0)
3. श्री शम्भुलाल गोपावत पुत्र श्री भुरालाल जी निवासी खरसाण, तहसील वल्लभनगर उदयपुर (राज0)
4. श्री विनोद देविदासोद पुत्र श्री मोहनलाल जी निवासी खरसाण, तहसील वल्लभनगर उदयपुर (राज0)

.....रेस्पोडेन्टगण

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 निर्णय विरूद्ध तहसीलदार वल्लभनगर अन्तर्गत् नामान्तरकरण सं. 1909 राजस्व ग्राम खरसाण दिनांक 02.04.2019

उपस्थितः (1) श्री सुखलाल मेघवाल, अधिवक्ता अपीलान्ट

(2) श्री हुकमीचन्द सांगावत अधिवक्ता वि.सं. 1 से 4

निर्णय

दिनांकः— 24.02.2020

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा पारित नामान्तकरण सं. 1909 दिनांक 02.04.19 ग्राम खरसाण से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पारित नामान्तकरण विक्रय विलेख दिनांक 04.02.19 के आधार पर है। जबकि अपीलार्थी द्वारा विक्रय विलेख दिनांक 04.02.19 को निरस्त कराने एवं राजस्व रेकार्ड, मौके की यथास्थिति बनाये रखने का एक वाद वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश वल्लभनगर के समक्ष दिनांक 22.02.19 को प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 द्वारा विक्रय पत्र के आधार

पर खातेदारी अधिकार की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जो भी विचाराधीन है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 गणेशी को विवादित भूमि के हिस्से को विक्रय का कोई अधिकार नहीं था परन्तु रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 ने आपस में दुर्भिसिंधी कर नुमाईशी विक्रय पत्र तैयार किया। जबकि उक्त भूमि दिनांक 26.06.63 को कर्ता खानदान की हैसियत से श्री नारायणलाल एवं श्री नवलराम ने उक्त भूमि को अपीलार्थी को विक्रय कर दी है। जहां स्वत्व संबंधी विवाद संबंधित सक्षम न्यायालय में वाद के माध्यम से विचाराधीन हो तो नामान्तकरण की संक्षिप्त कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलीय नामान्तरकरण को अपास्त फरमाया जाये।

अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खरसाण की आराजी नं. 637 रकबा 18 बिस्वा श्री नारायणलाल, श्री नवलराम उर्फ नवला व श्री छगनलाल तीनों का हिन्दु संयुक्त परिवार था। यह भूमि इनके नाम दर्ज थी। अपीलार्थी के पिता श्री नंगा मेघवाल खरसाण के होकर दिनांक 26.06.63 को 500 रूपये में इस भूमि का बिकाव करना तय कर दोनो भाईयों के हिस्से की जमीन की रजिस्ट्री करवायी। 1/3 हिस्से का विक्रय इकरार लिखकर कब्जा सिपुर्द कर दिया गया। नंगा की मृत्यु हो गई। अपीलार्थी उनका पुत्र है। जो नामान्तकरण से प्रभावित पक्षकार है। जिस कारण अपील प्रस्तुत करने की अपील प्रदान करायी जाये।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तीनो भाईयों का कोई परिवार नहीं था। छगनलाल की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी श्रीमती गणेशीबाई उनके सम्पत्ति की उत्तराधिकारी हुई। जिसका द्वारा अपना 1/3 हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया गया। रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 के नाम पर नामान्तकरण पास किया गया। गणेशीबाई को अपनी जमीन बेचने का उसे पूरा अधिकार था। वर्तमान में रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 का ही इस भूमि पर कब्जा हैं। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जाये।

रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलीय नामान्तकरण रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर स्वीकृत किया गया है। प्रस्तुत अपील निराधार है। अपील प्रस्तुत करने की कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट द्वारा विक्रय पत्र निरस्ती व अस्थायी निषेधाज्ञा का एक दावा अवश्य प्रस्तुत किया गया है व निरस्त हो चुका है। जिसकी अपील भी माननीय अपर जिला न्यायाधीश क्र.सं. 1, उदयपुर द्वारा निरस्त की जा चुकी है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 द्वारा भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय की गई है जिसका कब्जा भी सिपुर्द कर दिया गया है। स्वीकृत नामान्तकरण वैध

दस्तावेज से खोला गया है। अपीलान्ट द्वारा इसी आराजी का एक वाद, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर में पेश किया था जो खारीज हो चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमायी जाये।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी। विद्ववान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा खरसाण की आराजी नं. 637 रकबा 18 बिस्वा भूमि के मूल खातेदार श्री नारायणलाल, श्री नवलराम उर्फ नवला व श्री छगनलाल के नाम दर्ज होकर अपीलान्ट के पिता नंगा जी द्वारा उक्त भूमि को दिनांक 26.06.63 को 500 रूपये में बिकाव किया जाना तय कर दो भाईयों की रजिस्ट्री करवा दी गई थी परन्तु 1/3 हिस्सा का विक्रय इकरार लिख कर कब्जा सिपुर्द कर दिया गया था। परन्तु अपीलान्ट के पिता श्री नंगा जी के जीवनकाल में श्री छगनलाल की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त भूमि का 1/3 हिस्सा रजिस्ट्री नहीं होने के कारण छगनलाल की विधवा द्वारा अपने खाते में भूमि दर्ज होने का लाभ उठाकर एक नुमाईशी पत्र रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 के पक्ष में सम्पादित करवा दिया गया। जबकि मौके पर उक्त भूमि पर काबिज अपीलान्ट ही है। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 के पक्ष में सम्पादित नुमाईशी पत्र दिनांक 04.02.19 को निरस्त करवाये जाने हेतु सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया गया जो वर्तमान में एस.बी.सिविल रिट पीटिशन नं. 14486/19 से विचाराधीन होकर अपीलान्ट के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में स्वत्व संबंधी विवाद सक्षम न्यायालय में वाद के माध्यम से विचाराधीन हो तो नामान्तकरण की संक्षिप्त कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा विधि के विपरीत एवं बिना अधिकार के अपीलीय नामान्तकरण पारित किया गया है जिसे अपास्त फरमाया जावे। प्रस्तुत दस्तावेजों को संलग्न पत्रावली किये गये एवं अपने कथन की ताईद में आर.आर.टी. 2019(1)पेज 593 एवं माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट की आदेशिका दिनांक 01.10.19 की प्रति प्रस्तुत की गई है।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 द्वारा अपीलान्ट के कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलीय नामान्तकरण पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया है। पंजीकृत दस्तावेज को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा खारीज नहीं किया गया है। वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट पीटिशन नं. 14486/19 रेस्पोडेन्टगणों के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जो विचाराधीन है। वादग्रस्त भूमि का 1/3 हिस्सा छगनलाल का था। जिसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी उसकी जायदाद पर काबिज हुई। वादग्रस्त भूमि गणेशीबाई के खातेदारी हुई। जिसके द्वारा अपनी उक्त अधिकारयुक्त 1/3 हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय

कर कब्जा सिपुर्द किया गया। रेस्पोडेन्ट की जमीन पर अपीलान्ट का कोई टीनशेड का कब्जा नहीं है। अपीलान्ट द्वारा जो वाद, घोषणा एवं निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर में पेश किया जो खारीज हो चुका है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैध दस्तावेज के आधार पर नामान्तकरण पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारीज फरमायी जावे। अपने कथनों की ताईद में आर.आर.टी 2006(1) पेज 242, आर.आर.टी 2006(1) पेज 23, आर.आर.टी 2016–17(SUPP.) पेज 721, आर. आर.टी 2010(2)पेज 1446, आर.आर.टी 2006(2) पेज 1227, आर.आर.डी 2001 पेज 469, आर.आर.टी 2003(2)पेज 1047, आर.आर.टी 2003(1) पेज 293 के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेंजो का अवलोकन किया गया। विद्ववान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अध्ययन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि नामान्तकरण एक सरसरी कार्यवाही है। इससे किसी पक्ष के अधिकार तय नहीं होते है। माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट पीटिशन के अन्तिम रूप से जो निर्णय होगा उसी अनुसार नामान्तकरण की कार्यवाही अपेक्षित हैं। अपीलीय नामान्तकरण एक वैध दस्तावेज यानिकी खातेदार द्वारा अपनी भूमि पंजीकृत दस्तावेज से रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 के हक में विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया जिसके आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा पारित ग्राम खरसाण के नामान्तकरण सं. 1909 दिनांक 02.04.19 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। पारित निर्णय विधि अनुसार है।

अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर पक्षकारानों को पाबन्द किया जाता है कि वह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.10.19 की पालना सुनिश्चित करें।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anandhi Palaniswamy
Date: 2020.03.18 16:52:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: